



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10289 वर्ष 2026

राकेश यादव और अन्य

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रेम चंद सरोज

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम चंद सरोज, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह (आज दाखिल की गई उपस्थिति के आधार पर) और राज्य की

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 156/2025, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 118(1), 333, 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-सिंगरामऊ, जिला-जौनपुर में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में, आठ आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आवेदक भी शामिल हैं। इसके बाद, प्रथम सूचनादाता ने अपने दूसरे बयान में और घायल शीला देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुधांशु ही था, जिसने वीरेंद्र के उकसाने पर केवला देवी पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई और सुधांशु की ओर इशारा करने पर, डंडा भी बरामद हुआ। आगे यह भी कहा गया है कि घातक चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप सुधांशु पर लगाया गया है और आवेदकों की भूमिका यह है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अन्य घायलों को भी पीटा था। शीला देवी और पारसनाथ की चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, सिवाय पारसनाथ को लगी एक गंभीर चोट के। पारसनाथ को लगी गंभीर चोट के लिए किसी विशिष्ट भूमिका का आरोप नहीं लगाया गया है और न ही किसी आरोपी व्यक्ति, जिसमें आवेदक भी शामिल हैं, को दोषी ठहराया गया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदकों ने

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संलग्न हलफनामे में एक मामले के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आगे यह भी बताया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वे 24.12.2025 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, जेलों में अत्यधिक भीड़ और अवर न्यायालयों में आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रकाशित फैसले को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त **राकेश यादव और संजय यादव** को, उनके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी, ताकि आवेदकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल द्वारा आवेदकों को भेजी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत आदेश के अनुपालन में, जमानत देने की रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

26 मार्च, 2026

एस. सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।